न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल
प्रकरण सख्याः— 12/20 निर्णय दिनांक 08.07.2024

1 श्री हुंका पिता सवा ननोमा जाति मीणा निवासी धोधरा तहसील सीगलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
2 श्री काउडा पिता सवा ननोमा जाति मीणा निवासी घोधरा तहसील सीगलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1 श्री लसु पिता पेमजी ननोमा निवासी घोधरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
2 श्री बंशीलाल पिता पेमजी ननोमा निवासी घोघरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
3 श्री दिनेश पिता लक्ष्मण ननोमा निवासी घोधरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
4 श्रीमती गोरी पत्नि बंशीलाल ननोमा निवासी धोधरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
5 श्रीमती मणि पत्नि लक्ष्मण ननोमा निवासी धोधरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
6 श्रीमती संगीता पत्नि दिनेश ननोमा निवासी धोधरा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
7 श्री मान तहसीलदार महोदयजी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 183 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 212 जा. दी.
उपस्थित :—श्री गौतमलाल रोत वादी की ओर से
श्री पियुष कलाल प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीगण सगे भाई है व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 गांव धोधरा के स्थायी निवासी है। वादीगण खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन कर रहे है। वादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 299, खसरा नम्बर 1190, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1187/161, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर होकर स्थित है। वाद कारण आज से 25 दिन पूर्व वादीगण कॉलम संख्या 2 में अकित अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहे थे उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एकराय होकर जबरन अनाधिकृत रूप से वादीगण की खातेदारी आराजी दोनों पास पास है उसमें आकर गााली गलौज करते हुए। खेत में धुसकर झंगडा फंसाद कर जमीन अपनी बताकर थुवर की बाड शुरू कर विवाद उत्पन्न करने लगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण को रोकने की कोशिश करने पर झंगडा फिंसाद मारपीट कर खेत को खुर्द बुर्द कर दिया। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज होकर काश्त करते आ रहे है तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी नकल दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण समझने को तैयार ही नहीं हुए।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

ओर थुवर की बाड को दोनों वादीगण के खेत के बीच में करके खेत को अव्यवस्थित कर उसे भी जबरन खुर्द बुर्द कर दिया गया। ओर वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने की धमकी दे गए है। तो वादीगण ने कहा कि वादग्रस्त आराजी खातेदारी आराजी है जिसे प्रतिवादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण जबरन, जोर जबरदस्ती कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल होने की धमकी देने लगे। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। जिससे म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पावन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में कमशः खाता संख्या 299, खसरा नम्बर 1190, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1187/161, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का वादीगण को उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न स्वयं करे, न ही अपने मित्र ,एजेन्ट व मजदुरों से करावे।

इस प्रकार वादीया ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादीया द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत की गया है। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्रीमती हुका पिता सवा ननोमा निवासी धोधरा
2 पीडब्लयु–2– श्री काउडा पिता सवा ननोमा निवासी धोधरा

1 प्रदर्श–1 संवत 2073–2076 की हाल जमाबंदी खाता संख्या 299
2 प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस खाता संख्या 299
3 प्रदर्श–3 संवत 2073–2076 की हाल जमाबंदी खाता संख्या 25
4 प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस खाता संख्या 25

उक्त बयानो पीडब्लयु–1 व 2 में वादीगण ने बताया कि वादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 299, खसरा नम्बर 1190, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1187/161, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर होकर स्थित है। वाद कारण आज से 25 दिन पूर्व वादीगण कॉलम संख्या 2 में अकित अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहे थे उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एकराय होकर जबरन अनाधिकृत रूप से वादीगण की खातेदारी आराजी दोनों पास पास है उसमें आकर गााली गलौज करते हुए। खेत में धुसकर झंगडा फंसाद कर जमीन अपनी बताकर थुवर की बाड शुरू कर विवाद उत्पन्न करने लगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण को रोकने की कोशिश करने पर झंगडा फिंसाद मारपीट कर खेत को खुर्द बुर्द कर दिया। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज होकर काश्त करते आ रहे है तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी नकल दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण समझने को तैयार ही नहीं हुए। ओर थुवर की बाड को दोनों वादीगण के खेत के बीच में करके खेत को अव्यवस्थित कर उसे भी जबरन खुर्द बुर्द कर दिया गया। ओर वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करने की धमकी दे गए है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

तो वादीगण ने कहा कि वादग्रस्त आराजी खातेदारी आराजी है जिसे प्रतिवादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण जबरन, जोर जबरदस्ती कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल होने की धमकी देने लगे। जिससे प्रतिवादीगण को पाबंद कर मौके पर की गई बाड को हटवाकर बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को कई बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं होने पर साक्ष्य पेश नही करना चाहा है जिससे प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 299, खसरा नम्बर 1190, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1187/161, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर होकर स्थित है। वाद कारण आज से 25 दिन पूर्व वादीगण कॉलम संख्या 2 में अकित अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहे थे उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एकराय होकर जबरन अनाधिकृत रूप से वादीगण की खातेदारी आराजी दोनों पास पास है उसमें आकर गाली गलौज करते हुए। खेत में धुसकर झंगडा फंसाद कर जमीन अपनी बताकर थुवर की बाड शुरू कर विवाद उत्पन्न करने लगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण को रोकने की कोशिश करने पर झंगडा फिंसाद मारपीट कर खेत को खुर्द बुर्द कर दिया। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज होकर काश्त करते आ रहे है तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। ओर थुवर की बाड को दोनों वादीगण के खेत के बीच में करके खेत को अव्यवस्थित कर उसे भी जबरन खुर्द बुर्द कर दिया गया। ऐसे में मौके से थुवर की बाड को हटवाकर बेदखल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से 4 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी की वादीगण खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 299, खसरा नम्बर 1190, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1187/161, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे। वादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 299, खसरा नम्बर 1190, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा धोधरा में खाता संख्या 25 खसरा नम्बर 1187/161, खेत किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण का अवैध अतिकमण व निर्माण पाया जाता है तो तहसीलदार सीमलवाडा मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिक्रमण हटाकर ध्वस्त किया जावे।

सीमलवाडा

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा धोधरा में स्थित वादी संख्या 01 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1190 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व वादी संख्या 02 के कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1187/161 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी पैदा नहीं करें। वादीगण के खातेदारी भूमि में वादीगण के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। वादीगण के उपयोग उपभोग में रूकावट न स्वयं न अपने मित्र, एजेन्ट या मजूदर से करावें। ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

उपखण्ड अधिकारी
सांमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सांमलवाडा

निर्णय आदेश आज दिनांक 31/07/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सांमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner